निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1947 (श0)

(सं0 पटना 144) पटना, मंगलवार, 3 फरवरी 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

कार्यालय आदेश

3 अक्तूबर 2025

सं० 1 स्था०–82/2025–660/वि०स०।— सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०–19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित प्रावधान के तहत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु वरीयता के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा संवर्ग में निम्नांकित सहायक अवर मार्शल को सहायक मार्शल के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि में से शेष अवधि को क्षांत करते हुए सहायक मार्शल के विहित वेतनमान (वेतन स्तर–6) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान धारित पद
1.	श्री प्रशान्त प्रसाद	सहायक अवर मार्शल
2.	श्री रूपेश बिहारी	सहायक अवर मार्शल
3.	श्री विमल प्रकाश	सहायक अवर मार्शल
4.	श्रीमती कल्पना कुमारी	सहायक अवर मार्शल
5.	श्री कमल कुमार बिद	सहायक अवर मार्शल
6.	श्री भूषण रविदास	सहायक अवर मार्शल
7.	श्री संजय कुमार सिंह	सहायक अवर मार्शल
8.	श्री बिपिन बिहारी सिंह	सहायक अवर मार्शल

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०–19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्यधीन है ।

3. उपर्युक्त कर्मियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक मार्शल (विहित वेतनमान–वेतन स्तर–6) में उत्क्रमित किया जाता है ।

4. उपर्युक्त कर्मियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक मार्शल के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा ।

इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधितों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि वापस ले ली जायेगी ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 144-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in